भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 56

सोमवार, 19 जुलाई, 2021/28 आषाढ, 1943 (शक)

राज्यों को कोविड-19 राहत

56. श्री चंद शेखर साहू:
श्री विद्युत बरन महतो:
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे:
श्री संजय सदाशिव राव मांडलिक:
श्री सुधीर गुप्ता:

क्या **श्रम और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विभिन्न कंपनियों/उद्योगों आदि के लॉकडाउन के कारण प्रवासी कामगारों, विनिर्माण कामगारों और अन्य दैनिक मजदूरी वाले कामगारों की क्षतिपूर्ति के लिए उनको संवितरित करने हेतु राज्यों को कोविड-19 राहत निधि अनुमोदित/ जारी की है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार की कोविड-19 महामारी के कारण अपनी नौकरी खो देने वालों को रोजगार प्रदान करने /वापस नौकरी दिलाने की कोई योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रभावित कंपनियों को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान करने का है ताकि महामारी के कारण अपनी नौकरी खो देने वालों को वापस नौकरी दिलाई जा सके या नई नौकरी सृजित की जा सके; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार मंत्री

(श्री भूपेन्द्र यादव)

(क) से (ङ): कोविड-19 के फैलने के कारण सामने आयी चुनौतीपूर्ण स्थिति की पृष्ठभूमि में, जिससे विशेष रूप से असंगठित कामगारों के सामने वित्तीय बाधाएं आयी और कोविड-19 के फैलाव को रोकने तथा कामगारों के कल्याण के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को यह सलाह दी गई थी कि वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से सन्निर्माण कामगारों के बैंक खातों में पर्याप्त निधि के अंतरण हेतु बीओसीडब्ल्यू (आरईएण्डसीएस) अधिनियम, 1996 की धारा 22 (1)(ज) के अंतर्गत स्कीम बनाएं।

जारी पृष्ठ-2/-

इसके उत्तर में, कोविड-19 की पहली लहर के दौरान राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र बीओसीडब्ल्यू कल्याण बोर्डों ने लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद 1.83 करोड़ (लगभग) बीओसीडब्ल्यू कामगारों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 5618/- करोड़ रुपये से अधिक की राशि का संचयी रूप से संवितरण किया है। उपकर निधि से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लगभग 30 लाख कामगारों को खाद्य राहत पैकेज भी प्रदान किए गए हैं। इसके अलावा कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान 1.23 करोड (लगभग) बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से 1795.482/- करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं।

केन्द्र सरकार ने कोविड-19 की पृष्ठभूमि में गंतव्य राज्यों को लौटने वाले प्रवासी कामगारों के कल्याण के लिए 27.07.2020 को सभी राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को विस्तृत परामर्शी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी गई है कि वे अपने श्रम कानून प्रवर्तन तंत्र को शीघ्रता से सक्षम बनाकर परामर्शी दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करें और सभी हितधारकों द्वारा सांवधिक अनुपालन को सुनिश्चित करें जो प्रवासी कामगारों को वित्तीय संकट का सामना करने में काफी मददगार हो सकते हैं और उन्हें इस महामारी से निपटने के लिए सशक्त बना सकते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों का यह भी सलाह दी गई है कि वे प्रवासी कामगारों को सरकार की कल्याणकारी स्कीमों का लाभ देने के लिए प्रशासन को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रवासी कामगारों का अद्यतन डाटा रखें।

इसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (पीएमजीकेवाई) और आत्म निर्भर भारत के हिस्से के रूप में श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा कई पहलें की गई हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ (i) कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) के तहत नियोक्ता के हिस्से के 12 प्रतिशत और कर्मचारी के हिस्से के 12 प्रतिशत के अंशदान का भुगतान किया है जो मार्च से अगस्त, 2020 तक 6 वेतन माह हेतु वेतन का कुल 24 प्रतिशत है और यह 100 कर्मचारियों वाले उन प्रतिष्ठानों के लिए है जिनके 90 प्रतिशत कर्मचारी 15000/-रुपये से कम वेतन ले रहे हैं; (ii) मई, जून और जुलाई, 2020 के वेतन माह के लिए भविष्य निधि अंशदान के लिए वेतन के 12 प्रतिशत को कम करके 10 प्रतिशत करना; (iii) ईपीएफ स्कीम, 1952 में संशोधन करके भविष्य निधि से गैर-वापसी योग्य कोविड-अग्रिम; (iv) विवरणियों को जमा करने की तारीख को बढ़ाना; (v) कामगारों /कर्मचारियों की कठिनाई के समय उनके अनुरोध पर ध्यान देकर शीघ्रता से परामर्शिका जारी करना और अस्थायी आश्रय स्थलों में उनका मार्ग दर्शन भी करना; (vi) भवन एवं सन्निर्माण कामगार (बीओसीडब्ल्यू) उपकर निधि का उपयोग करके कोविड-19 के फैलने से प्रभावित सन्निर्माण कामगारों के बैंक खातों में निधि अंतरित करना शामिल हैं। उपरोक्त के अलावा, पीएमजीकेवाई के अंतर्गत अन्य मंत्रालयों/ विभागों द्वारा प्रवासी कामगारों सहित गरीब लोगों की सहायता के लिए खाद्यन्नों का प्रावधान, मुफ्त गैस सिलेंडर, लाभार्थियों आदि के बैंक खातों में वित्तीय सहायता के सीधे अंतरण जैसे उपाए किए गए हैं। सरकार ने स्थानीय स्तर पर नौकरियां सृजित करने और आत्म निर्भर भारत तथा प्रधान मंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के माध्यम से प्रवासी कामगारों की सहायता करने के लिए भी पहलें की हैं।

कोविड-19 की दूसरी लहर में प्रवासी कामगारों को खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करने की दृष्टि से श्रम और रोजगार मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से समीक्षा-सह-समन्वय बैठकें आयोजित कर रहा है। अभी तक ऐसी 8 बैठकें 13.04.2021, 23.04.2021, 06.05.2021, 13.05.2021, 20.05.2021, 27.05.2021, 03.06.2021 और 10.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की जा चुकी हैं।

****